न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान् "न्याय आपके द्वार-2018"

(उपखण्ड अधिकारी) गढी

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 40/2017

उनवान

(1) रमेश पिता छगनलाल दर्जी निवासी आसोडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) रूपेंग पिता नाथजी पटेल जाति पटेल निवासी आसोडा तह0 गढी जिला बांसवाडा।

(2) मन्जुला पत्नि रूपेंग पटेल जाति पटेल निवासी आसोडा तह0 गढी जिला बांसवाडा।

(3) कैलाश पिता दिलीप पटेल जाति पटेल निवासी आसोडा तह0 गढी जिला बांसवाडा।

(4) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवा

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 01/5/2

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के के पिता के नाम की कृषि भूमि खाता संख्या 163 135 (पुराना) के आराजी नम्बर 3450 रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्बर 5070 रकबा 0.48 हे0, आराजी नम्ब रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 5074 रकबा 0.13 हे0, आराजी नम्बर 5075 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्ब रकबा 0.5 हे0, आराजी नम्बर 5079 रकबा 0.22 हे0 भूमि वाके ग्राम आसोडा पटवार मण्डल आसोडा गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी उक्त आराजी नम्बर की भूमि पर वर्षो से काश्त करते चले आ साथ ही अपने परिवार का भरष पोषण कर रहे है। वादी द्वारा उक्त भूमि एक ही स्थान पर होकर उस ओर बाउण्ड्री बनी हुई। जिसमें वादी ने प्रत्थर कडी कर बाउण्ड्री बना रखी है। प्रतिवादीगण ने वादी पर अतिक्रमण करते हुये बनी हुई बाउण्ड्री पत्थरकडी को तोडकर सोयाबीन की खडी फसल में फे जिससे वादी की फसल खराब होकर नष्ट हो गई। वादी प्रतिवादीगण को झगडे पर उतारू देख मौके आया और गांव के प्रबुद्वजनों को साथ ले जाकर समझाईश की परन्तु प्रतिवादीगण किसी की बात म तैयार नही हुए तथा उक्त भूमि को बेवजह हडपने को उतारू है। जिस पर वादी को सूचना मिलने अपनी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने गया तो प्रतिवादीगण वादी को मारने व मरने के लिये गये। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण करते हुये भूमि को हडपने के लिये आमादा है। के मूल खातेदार वादी के पिता छगन पिता कचरू है जो गम्भीर रूप से बिमार है व वह चलना फिरना सकते है इसलिये वादी उनका एकमात्र पुत्र होकर उक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। जि आज्ञापक आदेश हटाये जाने (बेदखल किये जाने) हेतु वाद धारा 188 रा.का.अ. के तहत् पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी पर प्रतिवादीगण की तरफ से किसी के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही दिया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत होने पर वादी की साक्ष्य पैश हुई। तथा दौरा

रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्बर 5070 रकबा 0.48 हे0, आराजी नम्बर 5071 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 5074 रकबा 0.13 हे0, आराजी नम्बर 5075 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्बर 8076 रकबा 0.5 हे0, आराजी नम्बर 5079 रकबा 0.22 हे0 भूमि में वादी के काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा/रूकावट उत्पन्न नही करने एंव न ही किसी अपने परिचित से ऐसा कृत्य करावे जिससे की वादी को अपनी पैतृक भूमि में काश्त के दौरान व्यवधान/रूकावट पैदा हो।

(पूजा कुमारी पार्थ)
प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2018''
(उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा आसोड़ा की खाता संख्या 163 (नया) 135 (पुराना) के आराजी नम्बर 3450 रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्बर 5070 रकबा 0.48 हे0, आराजी नम्बर 5071 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 5074 रकबा 0.13 हे0, आराजी नम्बर 5075 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्बर 8076 रकबा 0.5 हे0, आराजी नम्बर 5079 रकबा 0.22 हे0 भूमि में वादी के काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा/रूकावट उत्पन्न नही करने एंव न ही किसी अपने परिचित से ऐसा कृत्य करावे जिससे की वादी को अपनी पैतृक भूमि में काश्त के दौरान व्यवधान/रूकावट पैदा हो। इस आशय की पृथक से डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/5/2018 को सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2018''
(उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी